

न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / 25 / 2016

बाबू पुत्र प्रभू जाति ब्राह्मण निवासी पिपरऊ तहसील नदबई जिला भरतपुर

....अपीलान्त

बनाम

राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार नदबई

.....रेस्पोंडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू-राजस्व अधिनियम विरुद्ध आदेश
न्यायालय तहसीलदार नदबई दिनांक 28-7-2016 प्रकरण संख्या
105 / 2017 धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक 13.11.2017

अपीलान्त ने यह अपील व खिलाफ आदेश तहसीलदार नदबई पेश की गई है, संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्त अतिक्रमी द्वारा ग्राम पिपरऊ तहसील नदबई में आराजी खसरा नम्बर 614मिन/0.71 किस्म जमीन गैर मुमकिन पोखर में से 0.03 हे० पर पक्का निर्माण कर किये गये अतिक्रमण से बेदखल किये जाने एवं पैनेल्टी कायम किये जाने की आज्ञा 28-7-2016 तहसीलदार नदबई द्वारा दी गई है। अपीलान्त तहसीलदार नदबई की उक्त आज्ञा के खिलाफ यह अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार नदबई से तहत पत्रावली तलब की गई। अपीलान्त अभिभाषक उपस्थित। रेस्पोंडेंट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्त ने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि विवादित आराजी अपीलार्थी की पुश्तैनी स्वामित्व एवं आधिपत्य की आबादी भूमि है। जिस पर अपीलार्थी के पिता व ताऊ ने ग्राम पंचायत पिपरऊ से निर्माण स्वीकृति प्राप्त की हुई है। इसी मंजूरी के तहत पक्का निर्माण किया हुआ है। विवादित आराजी कृषि भूमि नहीं है। तहसीलदार को आबादी की भूमि पर धारा 91 की कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलार्थी आदेश प्रार्थी की अनुपस्थिति में पारित किया गया है। जानकारी होने पर नकल वगैरा के लिये दिनांक 7.11.2016 को प्रार्थना पत्र तहत न्यायालय में पेश किया गया। नकल वगैरे लेकर अपील पेश की गई है। देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है। योग्य अभिभाषक का यह भी

.....2

कहना है कि अपीलाधीन आदेश पूर्व में छपे हुये फार्म को भरकर जारी किया गया है। तहत न्यायालय ने अपना माईन्ड एप्लाइ नहीं किया है। ऐसा आदेश न्यायिक आदेश नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि अपीलान्ट ने गैर मुमकिन सरकारी जमीन पर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किया है। विवादित आराजी गैर मुमकिन राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अपील म्याद बाहर पेश की गई है। तहसीलदार ने अपीलान्ट को विधिवत नोटिस देकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावलीयों का अवलोकन किया गया। अभिभाषक उभय पक्षकारान के कथनों पर गौर किया। प्रथमतः म्याद बिन्दू पर विचार किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है। आर0बी0जे0(4)1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि :-

" Liberal view should be Taken in Condoning The Dely in Filling the appeal"

माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर की उक्त नजीर के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा 5 स्वीकार किया जाता है। प्रकरण का मैरिट पर विचार किया गया। तहत न्यायालय ने एक पूर्व निर्धारित फार्म के रिक्त स्थानों की पूर्ती कर जिस प्रकार अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। ऐसा आदेश न्यायिक आदेश की परिभाषा में नहीं माना जा सकता है। इस से ऐसा प्रतीत होता है कि तहत न्यायालय ने अपने विवेक का इस्तेमाल ना कर, फार्म के रिक्त कॉलम को भर कर आदेश पारित करने की रस्म अदा की गई है। रिपोर्ट पटवारी एवं आईएलआर से स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 614/0.71 में से 0.02 हे. पर अपीलान्ट ने पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है। तहत न्यायालय द्वारा जारी 91 का नोटिस विधिवत अपीलान्ट पर तामील नहीं हुआ है। अपीलान्ट का यह कहना कि विवादित आराजी गे.मु. आबादी है, अपीलान्ट ने ग्राम पंचायत से मन्जूरी लेकर निर्माण किया है। यह जाँच का विषय है। अस्तु प्रकरण तहसीलदार नदबई को इस निर्देश के साथ रिमान्ड किया जाना उचित पाते हैं। वे विवादित आराजी की भूमि किस्म गे.मु. के बारे में जांच करें। अपीलान्ट से ग्राम पंचायत की मन्जूरी बाबत भी तहकीकात करें। अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर देते हुये विधिवत पुनः निर्णय पारित करें।

(3)

अपील / 25 / 2016
बाबू बनाम तहसीलदार नदबई

अतः आदेश है कि :-

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्त आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 28-7-2016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार नदबई को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विवेचनानुसार जाँच करें तथा अपीलान्त को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर देते हुये विधिवत् पुनः निर्णय पारित करें।

निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली तहसीलदार नदबई को वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2017 को लिखाया जाकर सुनाया गया।



{ डॉ.एन.के.गुप्ता }
जिला कलक्टर,
भरतपुर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official